क्रम-संख्या--292

रजिस्टर्ड नं० ए० डा०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 अप्रैल, 1983

वैशाख 7, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1512/सत्रह-वि0-1-1(क)-20-82

लखनऊ, 27 अप्रैल, 1983

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 27 अप्रैल, 1983 ई0 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1983

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1983]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा।

(2) यह 24 जुलाई, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1960 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,--

(क) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्--

"(2-क) 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' का तात्पर्य धारा 10 के अधीन नियुक्त बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है ;

(2-ख) 'वित्तीय सलाहकार' और 'लेखा अधिकारी' का तात्पर्य धारा 10 के अधीन नियुक्त बोर्ड के क्रमशः वित्तीय सलाहकार और लेखा अधिकारी से है;"

(ख) खण्ड (7) निकाल दिया जायगा ।

धारा 5 का प्रतिस्थापन

3--मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

बोर्ड का गठन

"5(1) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्--

(क) सरकारी सदस्य--

(एक) प्रभारी मंत्री, खादी तथा ग्राम उद्योग, राज्य सरकार, जो सभापति होगा ;

(दो) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त निदेशक से निम्न पद का न हो;

(तीन) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो ;

(चार) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो ;

(पांच) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, ग्राम विकास विभाग या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो ।

(ख) गैर सरकारी सदस्य--

(छः) सात गैर सरकारी सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जो उसकी राय में खादी तथा ग्राम उद्योग के विकास से सम्बद्ध विषयों में अनुभव रखने और दक्षता के कारण अर्ह हों ।

(2) राज्य सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सभापति के परामर्श से, गैर सरकारी सदस्यों में से एक पूर्णकालिक उप सभापति नियुक्त करेगी ।

(3) प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति को गजट में अधिसूचित किया जायगा ।"

धारा 10 का प्रतिस्थापन

4--मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी

"10(1) राज्य सरकार ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत सरकारी सेवक भी है, जिसे वह उचित समझे--

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

(ख) वित्तीय सलाहकार, और

(ग) लेखा अधिकारी,

नियुक्त करेगी ।

(2) लेखा अधिकारी को बोर्ड के परामर्श से नियुक्त किया जायगा ।

(3) बोर्ड इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अनुसार ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे ।"

धारा 11 का प्रतिस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"11(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्—

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्तीय सलाहकार और लेखा अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य

(क) समस्त प्रशासनिक कार्य पर नियंत्रण रखना;

(ख) बोर्ड की नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना ;

(ग) सभापति के परामर्श से बोर्ड की बैठक बुलाना, उसका कार्यवृत्त तैयार करना और उसमें किये गए विनिश्चयों को कार्यान्वित कराना;

(घ) बोर्ड के अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की चरित्र पंजियों में प्रविष्टियां करना;

(ङ) बोर्ड की ओर से संविदाओं और सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों को निष्पादित करना;

(च) अधिनियम और नियमों के अधीन अपेक्षित या राज्य सरकार और खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मांगे गये प्रतिवेदन, विवरणियों और अन्य सूचनाओं को तैयार कराना ;

(छ) बोर्ड के बैंक का लेखा चलाना;

(ज) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार कराना और उसे बोर्ड को प्रस्तुत कराना ;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जैसा नियत किया जाय।

(2) वित्तीय सलाहकार और लेखा अधिकारी की ऐसी शक्तियां होंगी और वे ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा नियत किया जाय।"

धारा 12 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (1) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (2)" के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (3)" रख दिये जायेंगे।

धारा 13 का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"13—बोर्ड की ओर से प्रत्येक संविदा और सम्पत्ति का हस्तान्तरण-पत्र लिखित रूप में होगा और उसका निष्पादन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से किया जायगा जैसी नियत की जाय और बोर्ड का प्रत्येक आदेश या विनिश्चय उप सभापति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसे अन्य सदस्य या अधिकारी द्वारा जिसे बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, अधिप्रमाणित किया जायगा।"

बोर्ड के लिखतों या आदेशों का अधिप्रमाणीकरण

धारा 26 का प्रतिस्थापन

8—मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"26(1) बोर्ड की एक निधि होगी जिसमें बोर्ड के द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त धनराशि जमा की जायगी।

बोर्ड की निधि

(2) बोर्ड की निधि की समस्त धनराशि सरकारी कोषागार में दो पृथक वैयक्तिक खाता लेखा के अधीन जो क्रमशः "खादी लेखा" और "ग्राम उद्योग लेखा" कहलायेंगे, और किसी अन्य तत्समय लेखा में भी जिसे बोर्ड द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में जब आवश्यक हो, खोला जायगा, जमा की जायगी।

(3) इस निमित्त बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए, बोर्ड समय-समय पर ऐसे वैयक्तिक खाता लेखा से ऐसी धनराशि निकाल सकता है, जैसी उसके प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और यदि वह ऐसा करना उचित समझे तो ऐसी कोई धनराशि किसी अनुसूचित बैंक के लेखा में जमा कर सकता है।"

धारा 31 और 31-क का प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 31 और 31-क के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"31 (1) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने या ऐसे कृत्यों का संपादन करने के प्रयोजनार्थ, जैसी नियत की जाय, बोर्ड निम्नलिखित की स्थापना करेगा :—

बोर्ड की समितियां

(क) चयन समिति;

(ख) वित्त समिति।

(2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सभापति होगा ;

(ख) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त निदेशक से निम्न पद का न हो ;

(ग) राजकीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग निदेशालय का एक प्रतिनिधि ;

(घ) सम्बद्ध परियोजना अधिकारी जो प्राविधिक सलाहकार होगा ।

(3) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(क) बोर्ड का सभापति, (सभापति);

(ख) बोर्ड के दो गैर-सरकारी सदस्य जो सभापति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो ;

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो ;

(ङ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(च) वित्तीय सलाहकार ;

(छ) लेखा अधिकारी जो सदस्य-सचिव होगा ।

(4) बोर्ड की समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी नियत की जाय ।

(5) बोर्ड की समितियों के सदस्य ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता पायेंगे जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे ।

(6) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वित्त समिति निम्नलिखित कृत्यों का संपादन और कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्—

(क) ऋण/अनुदान की मांगों पर विचार करना और उपलब्ध बजट के आधार पर स्वीकृति के लिये विनिश्चय करना;

(ख) बजट अनुमान तैयार करना;

(ग) वित्तीय प्रगति, वसूली, उपयोग प्रमाण-पत्र आदि की संवीक्षा करना।

(7) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों का गठन होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1982 के प्रारम्भ के पूर्व इस अधिनियम के अधीन गठित प्रत्येक समिति या उपसमिति विद्यमान नहीं रह जायगी।

शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन

31-क—बोर्ड सामान्य या विशेष आदेश द्वारा या तो बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिनके अन्तर्गत स्वयं पुनर्विलोकन करने की शर्त भी है, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, उप सभापति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।"

नई धारा 31-ख का बढ़ाया जाना

10—मूल अधिनियम में धारा 31-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"31-ख-(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, सलाहकार समिति का गठन कर सकती है ।

सलाहकार समिति

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट विषयों पर बोर्ड को सलाह देने के लिए

(2) सलाहकार समिति में, राज्य में प्रत्येक आयुक्त मंडल से एक-एक प्रतिनिधि होगा जो खादी और ग्राम उद्योग के क्षेत्र में रुचि रखता हो।"

धारा 36 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 36 में, उपधारा (2) में,--

(एक) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(ग) वित्तीय सलाहकार और लेखा अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य,"

(दो) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(ज) धारा 29 के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।"

धारा 37 का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 37 में, उपधारा (2) में,--

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(ख) धारा 10 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें";

(ख) खण्ड (घ) और (ङ) निकाल दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1983

निरसन और अपवाद

13--(1) उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 1512(2)/XVII-V—1—1(Ka)-20-82

Dated Lucknow, April 27, 1983

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Khadi Tatha Gram Udyog Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 27, 1983:

THE UTTAR PRADESH KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD (AMENDMENT) ACT, 1983

[U. P. ACT NO. 11 OF 1983]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1960

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Amendment) Act, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 24, 1982.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. X of 1960.

2. In the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1960, hereinafter referred to as the principal Act, in section 2,—

(*a*) *after* clause (ii), the following clauses shall be *inserted*, namely :

"(*ii-a*) 'Chief Executive Officer' means the Chief Executive Officer of the Board appointed under section 10.";

"(*ii-b*) 'Financial Advisor' and 'Accounts Officer' means respectively the Financial Advisor and Accounts Officer of the Board appointed under section 10,";

(*b*) clause (vii) shall be *omitted*.

Substitution of section 5.

3. *For* section 5 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"5. (1) The Board shall consist of the following members, namely:—

Constitution of the Board.

(*A*) *Official members* :—

(i) Minister Incharge of Khadi and Village Industries in the State Government, who shall be the Chairman;

(ii) Director of Industries, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of a Joint Director ;

(iii) Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Industries Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary;

(iv) Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Finance Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary;

(v) Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Rural Development Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary.

(*B*) *Non-official members*:—

(vi) Seven non-official members to be appointed by the State Government from amongst persons who in its opinion are qualified as having had experience and shown capacity in matters relating to development of Khadi and Village Industries.

(2) The State Government shall appoint a full-time Vice-Chairman from amongst non-official members in consultation with the Chairman of the Khadi and Village Industries Commission established under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956.

(3) The appointment of every non-official member shall be notified in the *Gazette*."

Substitution of section 10.

4. *For* section 10 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"10. (1) The State Government shall, on such terms and conditions as it may by general or special order specify in this behalf, appoint such person, including a Government servant, as it deems fit, as—

Officers and employees of the Board.

(*a*) Chief Executive Officer,

(*b*) a Financial Advisor, and

(*c*) an Accounts Officer.

(2) The Accounts Officer shall be appointed in consultation with the Board.

(3) The Board may, in accordance with the regulations made in this behalf, appoint such other officers and employees as it thinks fit."

Substitution of section 11.

5. *For* section 11 of the principal Act, the following section shall be *substituted* namely :

"11. (1) The Chief Executive Officer shall exercise the following powers and perform the following duties, namely:—

Powers and duties of the Chief Executive Officer, Financial Advisor and the Accounts Officer.

(*a*) to control all administrative work;

(*b*) to implement the policies and programmes of the Board;

(*c*) to call meetings of the Board in consultation with the Chairman, to prepare minutes thereof and to cause decisions taken therein to be implemented;

(*d*) to make entries in the character rolls of the subordinate officers and employees of the Board;

(*e*) to execute contracts and assurance of property on behalf of the Board;

(*f*) to cause to be prepared reports, returns and other informations required by the Act and the rules or asked for by the State Government and the Khadi and Village Industries Commission;

(*g*) to operate the Bank accounts of the Board ;

(*h*) to cause annual reports under sub-section (2) of section 29 to be prepared and submitted to the Board;

(*i*) to exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed.

(2) The Financial Advisor and the Accounts Officer shall have such powers and perform such duties as may be prescribed."

Amendment of section 12.

6. In section 12 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words, figure and bracket "sub-section (2)", the words, figure and bracket "sub-section (3)" shall be *substituted*.

Substitution of section 13.

7. *For* section 13 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"13. Every contract and assurance of property on behalf of the Board shall be in writing and executed by the Chief Executive Officer in such manner as may be prescribed and every order or decision of the Board shall be authenticated by the Vice-Chairman or the Chief Executive Officer or such other member or officer as may be authorised by the Board in this behalf."

Authentication of instruments or orders of the Board.

Substitution of section 26.

8. *For* section 26 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :

"26. (1) There shall be a Fund of the Board to which shall be credited all moneys received by, or on behalf of, the Board.

Fund of the Board.

(2) All moneys belonging to the Fund of the Board shall be deposited in the Government Treasury under two separate personal ledger accounts to be called respectively, the 'Khadi Account' and the 'Village Industries Account' and also in any other similar accounts to be opened by the Board as and when necessary in respect of its different schemes.

(3) Subject to any rule so made in this behalf, the Board may from time to time withdraw from such personal ledger accounts, such amount as may be required for its purposes and may, if it thinks fit so to do, credit any such amount in account with any Scheduled Bank."

Substitution of sections 31 and 31-A.

9. *For* sections 31 and 31-A of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

"31. (1) *For* the purpose of exercising such powers and performing such duties or discharging such functions as may be prescribed, the Board shall establish:—

Committees of the Board.

(*a*) a Selection Committee;

(*b*) a Finance Committee.

(2) The Selection Committee shall consist of the following members:

(*a*) Chief Executive Officer, who shall be the Chairman;

(*b*) The Director of Industries, Uttar Pradesh, or his nominee not below the rank of a Joint Director;

(*c*) A representative of the State Directorate of the Khadi and Village Industries Commission;

(*d*) Concerned Project Officer who shall be the Technical Advisor.

(3) The Finance Committee shall consist of the following members;

(*a*) Chairman of the Board, (Chairman) ;

(*b*) Two non-official members of the Board to be nominated by the Chairman;

(*c*) Secretary to the State Government in the Industries Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary;

(*d*) Secretary to the State Government in the Finance Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary ;

(*e*) Chief Executive Officer;
(*f*) Financial Advisor;
(*g*) Accounts Officer, who shall be the Member-Secretary.

(4) The term of office of the non-official members of the Committees of the Board shall be such as may be prescribed.

(5) The members of the Committees of the Board shall draw travelling and daily allowance in accordance with such general or special orders as the State Government may issue in this behalf.

(6) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section(1), the Finance Committee shall perform the following functions and duties, namely:—

(*a*) to consider the demands for loans/grants and to take decision for sanction on the basis of the available budget;
(*b*) to prepare budget estimates ;
(*c*) to scrutinise the financial progress, realisation, certificate of utilisation, etc.

(7) Upon the constitution of the Committees referred to in sub-section (1) every committee or sub-committee constituted under this Act, prior to the commencement of the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Amendment) Act, 1982, shall cease to exist.

Delegation of powers and functions.

31-A. The Board may, by general or special order, delegate either unconditionally or subject to such conditions including the condition of review by itself as may be specified in the order, to the Vice-Chairman, Chief Executive Officer or any other Officer, such of its powers and functions under the Act as it thinks fit."

Insertion of new section 31-B.

10. *After* section 31-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Advisory Committee.

"31-B. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, constitute an Advisory Committee to advise the Board on matters referred to it by the Board.

(2) The Advisory Committee shall consist of one representative from each Commissioner's Division in the State having interest in the field of Khadi and Village Industries."

Amendment of section 36.

11. In section 36 of the principal Act, in sub-section (2),—

(i) *for* clause (*c*), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*c*) the powers and duties of the Financial Advisor and Accounts Officer;"

(ii) *for* clause (*h*), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*h*) the submission of annual report under section 29."

Amendment of section 37.

12. In section 37 of the principal Act, in sub-section (2),—

(*a*) *for* clause (*b*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*b*) the appointment and conditions of service of the persons referred to in sub-section (3) of section 10."

(*b*) clauses (*d*) and (*e*) shall be *omitted*.

Repeal and savings.

13. (1) The Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Amendment) Ordinance, 1982, is hereby repealed. U.P. Ordinance no. of 1982

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 36 सा0 (विधा0)--28-4-83--(496)--1983--750 (मेक0)।